



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241895
CG-DL-E-11012023-241895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/पौष 20, 1944

No. 140]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

का.आ. 147(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 41/369 से कि.मी. 108/200 (उप संभागीय अधिकारी, बारामती) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप संभागीय अधिकारी, बारामती को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 41/369 से कि.मी. 108/200 (उप संभागीय अधिकारी, बारामती) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: इंदापूर					
गांव का नाम: बावडा					
1	16	निजी	कृषि	0.2268000(हेक्टेयर)	0.2268000
2	304	निजी	कृषि	0.3059000(हेक्टेयर)	0.3059000
3	305	निजी	कृषि	0.5076000(हेक्टेयर)	0.5076000
गांव का नाम: गोतोंडी					
1	C.T.S. No. 81	निजी	कृषि	0.0023000(हेक्टेयर)	0.0023000
2	C.T.S. No. 82	निजी	कृषि	0.0023000(हेक्टेयर)	0.0023000
गांव का नाम: इंदापूर					
1	109	निजी	कृषि	0.2794000(हेक्टेयर)	0.2794000
2	163	निजी	कृषि	0.1700000(हेक्टेयर)	0.1700000
गांव का नाम: लुमेवाडी					
1	125	निजी	कृषि	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000
गांव का नाम: सणसर					
1	Gavthan (P)	सरकारी	कृषि/अकृषि	0.0355000(हेक्टेयर)	0.0355000
गांव का नाम: सराटी					
1	96	निजी	कृषि	0.1354000(हेक्टेयर)	0.1354000
गांव का नाम: वडापूरी					
1	213	निजी	कृषि	0.0324000(हेक्टेयर)	0.0324000

2	449	निजी	कृषि	0.1033000(हेक्टेयर)	0.1033000
3	736	निजी	कृषि	0.0808000(हेक्टेयर)	0.0808000
4	765	सरकारी	कृषि	0.3028000(हेक्टेयर)	0.3028000
5	766	निजी	कृषि	0.1236000(हेक्टेयर)	0.1236000
कुल				2.3284	2.3284

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP//LA/17/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 147(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH965G in the stretch of land from Km 41/369 to Km 108/200 (Sub Divisional Officer, Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub divisional Officer, Baramati in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH965G in the stretch of land from Km 41/369 to Km 108/200 (Sub Divisional Officer, Baramati) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: PUNE			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Indapur					
Village: Bavada					
1	16	Private	Agriculture	0.2268000(Hectare)	0.2268000
2	304	Private	Agriculture	0.3059000(Hectare)	0.3059000
3	305	Private	Agriculture	0.5076000(Hectare)	0.5076000

Village: Gotondi					
1	C.T.S. No. 81	Private	Agriculture	0.0023000(Hectare)	0.0023000
2	C.T.S. No. 82	Private	Agriculture	0.0023000(Hectare)	0.0023000
Village: Indapur					
1	109	Private	Agriculture	0.2794000(Hectare)	0.2794000
2	163	Private	Agriculture	0.1700000(Hectare)	0.1700000
Village: Lumewadi					
1	125	Private	Agriculture	0.0203000(Hectare)	0.0203000
Village: Sansar					
1	Gavthan (P)	Government	Agriculture/Non Agriculture	0.0355000(Hectare)	0.0355000
Village: Sarati					
1	96	Private	Agriculture	0.1354000(Hectare)	0.1354000
Village: Wadapuri					
1	213	Private	Agriculture	0.0324000(Hectare)	0.0324000
2	449	Private	Agriculture	0.1033000(Hectare)	0.1033000
3	736	Private	Agriculture	0.0808000(Hectare)	0.0808000
4	765	Government	Agriculture	0.3028000(Hectare)	0.3028000
5	766	Private	Agriculture	0.1236000(Hectare)	0.1236000
Total				2.3284	2.3284

[F. No. NHAI/PIU/SLP//LA/17/3A]

RAJESH GUPTA, Director